रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 16, 1972 (भाद्र 25, 1894)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 16, 1972 (BHADRA 25, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 15 फरवरी 1972 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 15th February 1972 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

शून्य
—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	997
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1521
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1325
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं।) . .	2483
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	3539
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	507
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	1277
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	267
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	83
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . .	1369
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	179
पूरक संख्या 38—	
9 सितम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .	1817
19 अगस्त, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े .	1827

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	997
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1521
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1325
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	2483
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3539
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	507
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	1277
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	267
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	83
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1369
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	179
SUPPLEMENT No. 38—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 9th September, 1972	1817
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 19th August, 1972	1827

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रीमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 16 सितम्बर 1972

नियम

सं० फा० 10/13/72-के० स०(II)—निर्मुक्त आपात-कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, 1971 के नियम 5 तथा भूतपूर्व सैनिक केन्द्रीय सिविल सेवाएं तथा पद (श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 में रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली 1971 के नियम 4 में दिये गये उपबन्धों के अनुसरण में (i) निर्मुक्त आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों का जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 के पश्चात् और 10 जनवरी, 1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्रदान किया गया था अथवा जो परवर्ती तारीख से पहले कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हों, परन्तु जिन्हें उस तारीख को अथवा उसके बाद कमीशन प्रदान किया गया था और (ii) भूतपूर्व सैनिकों का उनके लिए क्रमश: वर्ग-I तथा वर्ग-II में आने वाली सेवाओं /पदों में आरक्षित अस्थायी रिक्तियां भरने के प्रयोजन हेतु चयन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1972 में ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नलिखित नियम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं । उपयुक्त निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, 1971 तथा भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सेवाएं तथा पद श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 में रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, 1971 क्रमश: 29 जनवरी, 1974 तथा 1 जुलाई 1974 से प्रभावी नहीं रहेंगीं जब तक कि सरकार द्वारा यह अवधि बढ़ा न दी जाए ।

वर्ग-I

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख)—(आशुलिपिकों के उप-काडर का ग्रेड II),

(ii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड II (ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने के लिए),

(iii) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड II,

(iv) केन्द्रीय सतर्कता आयोग दिल्ली के कार्यालय में आशुलिपिक के पद, तथा

(v) भारत सरकार के अन्य ऐसे विभागों और कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख)/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में शामिल नहीं है ।

वर्ग-II

श्रेणी 3 सेवाएं/पद :

(i) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड-II (ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने के लिए) तथा

(ii) भारत सरकार के अन्य ऐसे विभागों और कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद जो रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में शामिल नहीं है ।

नियम 2, के उपबन्धों के अधीन कोई उम्मीदवार ऊपर उल्लिखित सेवाओं में से किसी भी एक या एक से अधिक सेवाओं/पदों के लिए परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है । यह जितनी सेवाओं /पदों के लिए विचार किए जाने का इच्छुक हो उन सबका अपने आवेदन पत्र में उल्लेख कर सकता है ।

विशेष ध्यान दें :—उम्मीदवारों को चाहिए, कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार करवाना चाहते हैं उनका प्राथमिकता क्रम अपने आवेदन पत्रों में स्पष्ट लिखें । उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जितनी सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता करना चाहते हैं उन सबका उल्लेख करें ताकि योग्यता क्रम में उनके स्थान का ध्यान रखते हुए नियुक्तियां करते समय उनकी प्राथमिकताओं पर यथोचित विचार किया जा सके ।

विशेष ध्यान दें II:—भारत सरकार के कुछ विभागों/कार्यालयों में, जो इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती करते हैं, केवल अंग्रेजी आशुलिपिकों की आवश्यकता पड़गी, और इन विभागों/कार्यालयों में इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर आशुलिपिकों के पदों पर नियुक्तियां केवल उनमें से ही की जायेंगी, जिनकी अंग्रेजी की लिखित

परीक्षा तथा आशुलिपि की परीक्षा, के आधार पर आयोग द्वारा सिफारिश की जाएगी । (नियमों के परिशिष्ट-I का पैरा 4 देखिए) ।

विशेष ध्यान दें III:—उम्मीदवार द्वारा प्रारम्भ में अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट सेवाओं/पदों के प्राथमिकता क्रम में कोई बदोत्तरी अथवा परिवर्तन करने की किसी भी ऐसी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी प्रार्थना संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय को 31 अक्तूबर 1973 को या उससे पहले न मिल जाय ।

2.(क) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी केवल वर्ग-I में शामिल की गई, श्रेणी-2. की सेवाओं/पदों के आशुलिपिकों के पदों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में ही प्रतियोगिता कर सकेंगे ।

(ख) भूतपूर्व सैनिक केवल वर्ग-II में शामिल की गई श्रेणी-3 की सेवाओं/पदों के आशुलिपिकों के पदों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए ही प्रतियोगिता कर सकेंगे ।

3. इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में बता दी जायेगी ।

भारत सरकार के निश्चिय के अनुसार निर्धारित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का अर्थ है : संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, जैसा कि बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित है । संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1959 संविधान (दादर व नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968, संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1968 और संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जातियां, आदेश, 1970 ।

4. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट 1 में विहित विधि से किया जाएगा ।

परीक्षा की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

5. इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन,

(i) ऐसे आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिन्हें 1 नवम्बर 1962 के पश्चात् परन्तु 10 जनवरी 1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्रदान किया गया था अथवा जो परवर्ती तारीख से पहले किसी कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हों, परन्तु जिन्हें उस तारीख को अथवा उसके बाद कमीशन प्रदान किया गया हो और जिन्हें 1971 के दौरान निर्मुक्त किया गया हो, इस परीक्षा में बैठ सकेंगे ।

(ii) ऐसे अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिन्हें 1 नवम्बर 1962 के पश्चात् परन्तु 10 जनवरी, 1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्रदान किया गया था अथवा जो परवर्ती तारीख से पहले किसी कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हों परन्तु जिन्हें उस तारीख को अथवा उसके बाद कमीशन प्रदान किया गया हो और जिन्हें 1971 अथवा 1972 में इस अधिसूचना की तारीख से पहले निर्मुक्त किया गया हो, अथवा उसके उपरान्त 1973 के अन्त तक निर्मुक्त होने वाले हों, इस पररीक्षा में बैठ सकेंगे ।

टिप्पणी 1—इन नियमों के प्रयोजन के लिए "निर्मुक्त" का अभिप्राय निम्नलिखित है :—

(1) निर्मुक्ति के निर्धारित वर्ष के अनुसार निर्मुक्ति ।

(2) सैनिक सेवा के कारण हुई विकलांगता अथवा उसके गम्भीर रूप धारण करने के फलस्वरूप हुई असमर्थता । जो सशस्त्र सेना में सेवा की अल्पावधि के बाद और न कि प्रशिक्षण के दौरान अथवा अन्त में, अथवा ऐसी अल्पकालीन सेवा कमीशन के दौरान अथवा अन्त में जो वास्तविक सेवा में लिये जाने से पूर्व इस प्रकार के प्रशिक्षण की अवधि को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया है और न ही इसमें इन अधिकारियों के मामले शामिल होंगे जिन्हें कदाचार अथवा अदक्षता के कारण अथवा जिन्हें उनके अपने अनुरोध पर निर्मुक्त किया गया हो ।

टिप्पणी 2—निर्मुक्ति के निर्धारित वर्ष' अभिव्यक्ति का अर्थ है:—

(1) जहां तक इसका सम्बन्ध आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों से है, वह वर्ष जिसमें मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूर्व-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार उन्हें निर्मुक्त होना है, और

(2) जहां तक अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनके लिए वह वर्ष माना जायेगा जिसमें अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में 3 अथवा 5 वर्ष, जैसी भी स्थिति हो सामान्य सेवा काल की समाप्ति होनी है ।

टिप्पणी 3—यदि किसी व्यक्ति को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सशस्त्र सेना में स्थायी कमीशन मिल जाता है, अथवा वह सशस्त्र सेना से इस्तीफा दे देता है या वह उससे सदाचार अथवा अदक्षता या अपने निजी अनुरोध के कारण निर्मुक्त कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति की पात्रता रद्द कर दी जायेगी ।

टिप्पणी 4—सशस्त्र सेनाओं की वालंटियर रिजर्व फोर्स के अधिकारियों और जिन्हें अस्थायी सेवा के लिए लिया गया हो, इस परीक्षा में प्रवेश नहीं पा सकेंगे ।

6. इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन सभी भूतपूर्व सैनिक इस परीक्षा में बैठ सकेंगे ।

टिप्पणी :—इन नियमों के प्रयोजन के लिए "भूतपूर्व सैनिक" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो नवम्बर, 1972 को संघ की सशस्त्र सेवाओं में से किसी भी रैंक में (लड़ने वाले अथवा न लड़ने वाले के रूप में) कम से कम छः मास की अवधि तक लगातार सेवा कर चुका हो और,

(1) जो निर्मुक्त कर दिया गया हो, लेकिन सदाचार अथवा अदक्षता के कारण बर्खास्त अथवा अपदस्थ न किया गया हो, अथवा इस प्रकार निर्मुक्त न होने तक के लिए रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया हो, अथवा ।

(2) जिसे निर्मुक्त होने का हकदार होने के लिए या जैसा ऊपर कहा गया है, रिजर्व में ट्रांसफर किये सकने के लिए अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के हेतु 7 नवम्बर 1972 से छः मास से अधिक की सेवा न करनी हो ।

व्याख्या :—इस नियम के प्रयोजन के लिए 'संघ' की सशस्त्र सेनाओं' का अभिप्राय संघ की नौसेना, थलसेना अथवा वायुसेना से है और इन में भूतपूर्व भारतीय रिआसतों की सशस्त्र सेनाएं शामिल हैं ।

7. (1) यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आ गया हो, या

(च) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में अस्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और केन्या युगान्डा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) के इन पूर्वी देशों से प्रव्रजित हुआ हो ।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ) (ङ) और (च) वर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिए ।

परन्तु वर्ग (च) से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

यदि ऊपर की (च) श्रेणी 'क' गैर-नागरिक, जो संविधान लागू होने की तारीख, अर्थात् 26 जनवरी 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार उस सेवा में काम कर रहे है । परन्तु जो सेवा भंग करके 26 जनवरी 1950 के बाद उस सेवा में फिर आया हो या फिर आए, उसके लिए सामान्य रूप में पात्रता-प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा ।

इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) (आशुलिपिकों के उपसंवर्ग के ग्रेड II) में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

(2) जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक है, यदि सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र दे दे तो उसे परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है और अंतिम रूप में उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है ।

8. (क) जो आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी उपर्युक्त नियम 5 के अधीन इस परीक्षा में बैठना चाहता हो, उसके लिए यह जरूरी है कि जिस वर्ष उसने सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया था या कमीशन प्राप्त किया था (जहां प्रशिक्षण की व्यवस्था केवल कमीशन के बाद थी) उस वर्ष की पहली जनवरी को उसकी आयु पूरे 24 वर्ष की न हुई हो ।

(ख) 24 वर्ष की आयु-सीमा में उन आपात कमीशन प्राप्त/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए 35 वर्ष की आयु तक की छूट दे दी जायेगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में अथवा निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय में आशुलिपिकों (इसमें भाषा आशुलिपिक भी शामिल है) । लिपिकों/आशुटंककों के पदों पर नियमित रूप में नियुक्त किये गये थे और जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को जिस वर्ष) उन्होंने कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया था या कमीशन प्राप्त किया था (जहां कमीशन के बाद प्रशिक्षण हुआ था), आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक समेत) । लिपिक/आशुटंकक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली थी और उसी रूप में कार्य करते ही रहे होते यदि सशस्त्र सेना में प्रवेश न करते या जिन्होंने 1 जनवरी 1973 को भारत सरकार के विभिन्न विभागों/ कार्यालयों में अथवा निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय में नियमित रूप में नियुक्त आशुलिपिक भाषा आशुलिपिक समेत । लिपिक/आशुटंकक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली है तथा उसी रूप में नौकरी करते आ रहे हैं ।

परन्तु उपर्युक्त आयु सम्बन्धी छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जायेगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले ली गई परीक्षाओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी में आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किये जा चुके हैं :—

(i) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-II, या

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-II या

(iii) भारतीय विदेश सेवा (ख), या

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ।

टिप्पणी 1 :—डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल-डाक छंटाईकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 8(ख) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में की गई सेवा मानी जायेगी ।

2. सेवा लिपिकों द्वारा प्रतिरक्षा अधिष्ठानों में की गई सेवा उपर्युक्त नियम 8(ख) के प्रयोजन के लिए नहीं गिनी जायेगी ।

(ग) उपरोक्त नियम 6 के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक भूतपूर्व सैनिक की आयु 1 जनवरी 1973 को 18 वर्ष होनी चाहिए तथा सशस्त्र सेनाओं में उसकी कुल सेवा में 3 वर्ष जोड़ने से उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक न हो ।

टिप्पणी :—उपरोक्त नियम 8(ग) के प्रयोजन के लिए सशस्त्र सेनाओं के किसी भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि को सशस्त्र सेवाओं में की गई सेवा मानी जायेगी ।

(घ) ऊपर के सभी मामलों में ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट दी जायेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार पहले पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी 1964 लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले या उसके बाद प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा पहले के पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी 1964 लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडीचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद में लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तो श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य-क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का निवासी हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व—टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो, और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(X) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(XI) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा-कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक, और

(XII) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्यवाही के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित हो, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक, (ख) उपरोक्त उपपैरा (क) में विहित आयु सीमा में भी निम्नोक्त छूट दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार ने 1963 में सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहां प्रशिक्षण केवल कमीशन के पश्चात् हुआ था) और वह पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार ने 1963 में सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहां प्रशिक्षण केवल कमीशन के पश्चात् हुआ था) और वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार ने 1963 या 1964 या 1965 में सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहां प्रशिक्षण केवल कमीशन के पश्चात हुआ था) और वह अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह का निवासी हो तो अधिक से अधिक 4 वर्ष तक, और

(iv) यदि उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना में 1963 या 1964 या 1965 में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहां प्रशिक्षण केवल कमीशन के पश्चात् हुआ था) और वह भारत का नागरिक हो तथा लंका से आया हुआ देश-प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

ध्यान दें :—

(i) यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 8(ख) में उल्लिखित आयु संबधी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो और यदि वह आवेदन पत्र देने के बाद, परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, नौकरी से त्यागपत्र दे दे या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है लेकिन यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छंटनी हो जाये तो वह पात्र बना रहेगा ।

(ii) वह आशुलिपिक (भाषा-आशुलिपिक समेत)/लिपिक आशुटंकक, जो सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश करते समय या जहां कमीशन के पश्चात् प्रशिक्षण हो कमीशन प्राप्त करते समय या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी संवर्ग बाहर पद (एक्स० केडर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्ति पर है, सशस्त्र सेना से सेवामुक्त होने पर यदि अन्यथा सब प्रकार से पात्र हो, तो परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा ।

(च) गोआ, दमन तथा दियु के उन स्वाधीनता सेनानियों को, जो गोआ, दमन तथा दियु की सरकार के कर्मचारी नहीं थे और उन्होंने मुक्ति संघर्ष में भाग लिया था और उसके फलस्वरूप भूतपूर्व पुर्तगाली प्रशासन के अधीन कम से कम छः मास तक कारावास अथवा हिरासत में रहे हों, परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि 1-1-1972 को उनकी आयु 35 वर्ष की न हुई हो ।

टिप्पणी :—नियम 8(च) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उपर्युक्त नियम 8(घ) के अन्तर्गत मिलने वाली आयु में छूट का हक नहीं होगा ।

9. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में दो बार से अधिक बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी यह प्रतिबन्ध सन् 1969 में हुई परीक्षा से लागू होगा ।

10. वर्ग 1 (देखें नियम 2) की सेवाओं तथा पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवार को अपने निर्मुक्त होने के वर्ष में ली गई परीक्षा तथा निर्मुक्त होने के वर्ष से अगले वर्ष में ली जाने वाली परीक्षा क्रमशः अपने पहले तथा दूसरे अवसर के रूप में लेनी होगी ।

11. नियम 10 में दी गई किसी बात के बावजूद—

(i) सन् 1971 में निर्मुक्त उम्मीदवार सन् 1973 में ली जाने वाली परीक्षा अपने दूसरे अवसर के रूप में दे सकता है ;

(ii) सन् 1970 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तारीख के बाद सन् 1970 में सैनिक सेवा के कारण हुई विकलांगता या उसके गंभीर रूप धारण करने के फलस्वरूप अमान्य ठहराया गया उम्मीदवार सन् 1973 में ली जाने वाली परीक्षा अपने दूसरे अवसर के रूप में दे सकता है।

(iii) सन् 1972 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की निधारित अंतिम तारीख के बाद सन् 1972 में सैनिक सेवा के कारण हुई विकलांगता या उनके गंभीर रूप धारण करने के फलस्वरूप अमान्य ठहराया गया उम्मीदवार सन् 1973 में ली जाने वाली परीक्षा अपने पहिले अवसर के रूप में दे सकता है।

(iv) कोई आपातकालीन कमीशन प्राप्त/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सशस्त्र सेनाओं के कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में 10-1-68 से पूर्व से शामिल हुआ है। परन्तु उसे 10-1-68 को या उसके बाद कमीशन प्रदान किया गया हो तो वह सन् 1973 में ली जाने वाली परीक्षा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दे सकता है :—

(क) अपने पहले अवसर के रूप में यदि वह 1971 अथवा 1972 में निर्मुक्त हुआ हो,

(ख) अपने पहले अवसर के रूप में, यदि 1970 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तारीख के बाद 1970 में सैनिक सेवा के कारण हुई विकलांगता या उसके गंभीर रूप धारण करने के फलस्वरूप अमान्य ठहराया गया हो,

(ग) अपने दूसरे अवसर के रूप में, यदि 1970 में निर्मुक्त हुआ हो।

टिप्पणी 1 :—उपरोक्त खंड (ii) तथा खंड (iv) (ख) में दिए गये उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें 1970 में निर्मुक्त होना था।

टिप्पणी 2 :—उपरोक्त खण्ड (iii) में दिए गए उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें 1972 में निर्मुक्त होना था।

टिप्पणी 3 :—ऐसे उम्मीदवार जो इस नियम के उपबन्धों के अनुसार 1974 में अथवा दूसरा अवसर पाने के पात्र हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं यदि इन नियमों के नियम 1 में उल्लिखित नियमों के उपबन्धों की अवधि सरकार द्वारा 28 जनवरी 1974 से आगे बढ़ा दी जाती है।

12. यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों ने नीचे लिखी परीक्षाओं में से कोई एक पास की हो या उसके पास निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण-पत्र हो :—

(i) भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा,

(ii) किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में स्कूल लीविंग सैकैंडरी स्कूल, हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाण-पत्र के लिए ली गई परीक्षा जिसे वह राज्य सरकार नौकरी में प्रवेश के लिए समकक्ष मानती हो।

(iii) कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा (सीनियर कम्ब्रिज),

(iv) राज्य सरकारों द्वारा ली गई यूरोपीय हाई स्कूल परीक्षा,

(v) अरविन्द इन्टरनेशनल सैन्टर आफ एजुकेशन पांडिचेरी की उच्चतम माध्यमिक पाठ्यचर्या की दसवीं कक्षा प्रमाण-पत्र,

(vi) दिल्ली पौलीटैकनिक के तकनीकी हायर सैकैन्डरी स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र,

(vii) मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल/मल्टी पर्पज स्कूल द्वारा ली गई वह परीक्षा जो कि अंतिम वर्ष से एक वर्ष पूर्व/मल्टी पर्पज कोर्स (जिस से कोई उम्मीदवार तीन वर्षीय डिग्री कोर्स में प्रवेश पा सकता है)।

(viii) इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने वाले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र,

(ix) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली की जूनियर परीक्षा, केवल जामिया के वास्तविक आवासी छात्रों के लिए,

(x) बंगाल (मार्इस) स्कूल सर्टिफिकेट,

(xi) नेशनल काउन्सिल आफ एजुकेशन, जादवपुर, पश्चिमी बंगाल की (शुरू से लेकर) फाइनल स्कूल स्टेन्डर्ड परीक्षा,

(xii) पांडिचेरी की नीचे लिखी फ्रैंच परीक्षाएं :—

(i) ब्रीवे एलिमेंतेय,

(ii) ब्रीवे द एंसीमा प्रीमियेर लागू इंदियेन,

(iii) ब्रीवे दे सत्युद्यू प्रीमियेर सिक्ल,

(iv) ब्रीवे द एंसीमां प्रीमियर सुपीरियेर द लांग इंदियेन, और

(v) ब्रीवे दे लांग इंदियन (वर्नाकूलर),

(xiii) इंदियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन,

(xiv) भारतीय नौसेना का हायर एजुकेशन टैस्ट,

(xv) एडवांस क्लास (भारतीय नौसेना) परीक्षा,

(xvi) सीलोन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा,

(xvii) ईस्ट बंगाल सैकेन्डरी एजुकेशन बोर्ड, ढाका द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र,

(xviii) (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में कैमिला/राजशाही/खुलना स्थित सैकैंडरी एजुकेशन बोर्ड द्वारा दिए गए सैकैंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ।

(xxiii) (ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के बोर्ड आफ इंटरमीडिएट तथा सैकैंडरी एजुकेशन, जैसोर द्वारा दिया गया सैकैंडरी स्कूल प्रमाण-पत्र ।

(xix) नेपाल सरकार की स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा,

(xx) एंग्लोवर्नाकूलर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (बर्मा),

(xxi) बर्मा हाई स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट,

(xxii) शिक्षा विभाग, बर्मा (युद्ध-पूर्व) की एंग्लोवर्नाकूलर हाई स्कूल परीक्षा,

(xxiii) बर्मा का पोस्ट-बार स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट,

(xxiv) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद की "विनीत" परीक्षा,

(xxv) गोवा दमन और दिव की पुर्तगाली परीक्षा "लाइसियूम" के पांचवें वर्ष में पास,

(xxvi) "सामान्य" स्तर पर श्री लंका की जनरल सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन नामक परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी तथा गणित और सिंहली या तमिल सहित छः विषयों में पास की गई हो।

(xxvii) सामान्य स्तर पर लंदन के एसोसियेटेड एग्जामिनेशन बोर्डस् की जनरल सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी सहित पांच विषयों में पास की गई हो।

(xxviii) किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जूनियर/सैकैंडरी तकनीकी स्कूल परीक्षा,

(xxix) पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित) अथवा प्राचीन खण्ड, मध्यमा (प्रथम दो वर्ष का कोर्स) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की विशेष परीक्षा जिनमें अतिरिक्त विषयों में अंग्रेजी एक विषय हो, और

(xxx) इसकोला इण्डस्ट्रीज कर्माशियल डी गोवा, पणजी जोकि पुर्तगाली के अधीन गोवा, दमन और दियू की आजादी से पूर्व स्थापित किया गया, द्वारा दिया गया कार्शोज कुरसो डी फरमार्का डी सिस्लाथिरयो (लुहारी कोर्स सर्टिफिकेट और काटी डी० फससो डी० मोटाडार इलक्ट्रकसरा विद्युत कोर्स) का प्रमाण पत्र ।

टिप्पणी 1 :—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा दे चुका हो, जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन उसके परिणाम की सूचना उसे नहीं मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है। जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालीफाईंग) परीक्षा में बैठना चाहते हों वे भी आवेदन पत्र दे सकते हैं बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले हो जाए। ऐसे उम्मीदवार यदि अन्य शर्तें पूरा करते हों तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, किन्तु परीक्षा में बैठने की अनुमति अंतिम होगी और यदि वे उक्त परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के अन्दर-अन्दर, प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी 2 :—किन्ही आपवादिक मामलों में, किसी ऐसे उम्मीदवार को जिस के पास नियम में निर्धारित कोई उपाधि नहीं है, आयोग अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार मान सकता है, बशर्ते कि उसके पास ऐसी अर्हताएं हों जिनका स्तर, आयोग की राय में, परीक्षा में प्रवेश के लिए न्यायोचित है।

13. ऐसा कोई व्यक्ति —

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो या विवाह का करार किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने, अपनी पत्नि/पति के जीवित रहते ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होगा।

किन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह सूत्र के अन्य पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसा करने के अन्य कारण भी हों तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

14. जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में सेवा कर रहा हो उसे इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन-पत्र अपनी यूनिट के कमान-अफसर को प्रस्तुत करना होगा जो उसे संघ लोक सेवा आयोग को भेज देगा।

सरकारी सेवा में के अन्य सभी उम्मीदवारों को चाहे वे स्थायी पद पर हों अथवा अस्थायी पद पर अथवा कार्यप्रभारित कर्मचारी हों, नैमित्तिक (कैजुयल) अथवा विहाड़ी वाले कर्मचारियों को छोड़कर, परीक्षा में बैठने के लिए विभाग के अध्यक्ष की पूर्व-अनुमति प्राप्त करनी होगी।

15. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, जो सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किए जाने की सम्भावना हो।

टिप्पणी :—अशक्त भूतपूर्व रक्षा, कार्मिकों के सम्बन्ध में रक्षा सेवा के डीमोबीलाइजेशन मैडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता-प्रमाण-पत्र नियुक्ति के के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

16. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

17. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

18. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो वह परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

19. यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा इस बात के लिए दोषी घोषित किया जाए या कर दिया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण पत्र आदि पेश किए हैं या ऐसे प्रमाण पत्र पेश किये हैं जिनमें कोई हेरा फेरी की गई है या गलत या झूठे वक्तव्य दिये है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई अनुचित आचरण किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रौसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही :

(क) उसे हमेशा के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए :

(i) आयोग उम्मीदवार के चुनाव के लिए ली जाने वाली अपनी किसी परीक्षा या इन्टरव्यू में उसे शामिल होने से रोक सकता है, और

(ii) केन्द्रीय सरकार अपने अधीन नियुक्त होने से उसे रोक सकती है।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में नियुक्त हो तो उसके खिलाफ उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत आनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

20. परीक्षा के बाद :—

(क) वर्ग 1 में दी गई सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता करने वाले उम्मीदवारों को योग्यता क्रम से प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप में मिले कुल अंकों के क्रमानुसार रखा जाएगा; और उस क्रम में आयोग जितने उम्मीदवारों को परीक्षा द्वारा अर्हता प्राप्त समझेगा, उन्हें केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II की प्रवर सूची में सम्मिलित करने के लिए, तथा इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरे जाने के लिए विनिश्चित अन्य सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने के लिए सिफारिश करेगा।

(ख) वर्ग II में दी गई सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता करने वाले उम्मीदवारों को योग्यता क्रम से प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप में मिले कुल अंकों के क्रमानुसार रखा जाएगा और उस क्रम में आयोग जितने उम्मीदवारों को परीक्षा द्वारा अर्हता प्राप्त समझेगा उन्हें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड-II की प्रवर सूची में सम्मिलित करने के लिए तथा परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए अन्य सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने के लिए सिफारिश करेगा।

लेकिन शर्त यह है कि यदि सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित पद नहीं भरे जा सकते हैं तो आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए, स्तर में छूट देकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए सेवा के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II की प्रवर सूची में लिए जाने के लिए तथा अन्य सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य होने पर, परीक्षा की योग्यता सूची में उनके रैंक को ध्यान में रखे बिना ही आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकती है।

21. यदि परीक्षा के परिणाम के आधार पर वर्ग-I की सेवाओं/पदों के लिए सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त, अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों और वर्ग-II की सेवाओं/पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो न भरे गए खाली पद सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित की जाने वाली पद्धति से भरे जाएंगे।

22. इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्तियां करते समय विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए उम्मीदवार द्वारा बताई गई प्राथमिकताओं पर समुचित ध्यान रखा जाएगा। (देखिए आवेदन पत्र का कालम 26)।

23. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

24. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

25. जिन सेवाओं/पदों के लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट II में दिया गया है।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

परिशिष्ट—I

1. प्रतियोगिता-परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(क) दो विषयों में लिखित परीक्षा, जैसा कि नीचे के पैरा 2 में दिया गया है कि जिसके पूर्णांक 200 होंगे।

(ख) जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची के पैरा 2 तथा भाग ख में दर्शाया गया है, लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आशुलिपि परीक्षाएं, जिनके पूर्णांक 300 होंगे, जिन में से 50 अंक आपातकालीन कमीशन प्राप्त/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए सशस्त्र सेनाओं में सेवा के रिकार्ड के मूल्यांकन के लिए होंगे।

2. लिखित परीक्षा के विषय तथा प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे।

भाग क—लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
1. अंग्रेजी	3 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	3 घंटे	100

भाग ख—आशुलिपि परीक्षा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में उनके लिए होगी जो लिखित परीक्षा में पास होंगे।

300 अंक (250 अंक आपातकालीन कमीशन प्राप्त/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में)।

टिप्पणी:—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि नोट, टाइप करने होंगे और इस के लिए उन्हें अपनी-अपनी टाइप मशीनें लानी होंगी।

3. लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि परीक्षा योजना का पाठ्य विवरण परिशिष्ट में दी गई अनुसूची में दिए अनुसार होगा और लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र वही होंगे जो साथ-साथ होने वाली नियमित आशुलिपिक परीक्षा की योजना में इन विषयों के लिए होंगे।

4. उम्मीदवार लिखित परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र (ii) का उत्तर हिन्दी देवनागरी या अंग्रेजी में लिखने का विकल्प ले सकते हैं। यह विकल्प पूर्ण प्रश्न के लिए लागू होगा न कि उस के किसी भाग के लिए।

जो उम्मीदवार पूर्वोक्त प्रश्न पत्र हिन्दी देवनागरी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षाओं में भी केवल हिन्दी देवनागरी में लिखना होगा और जो उम्मीदवार पूर्वोक्त प्रश्न पत्र अंग्रेजी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षाओं में भी केवल अंग्रेजी में लिखना होगा।

टिप्पणी : जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान का (ii) प्रश्न पत्र का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में हिन्दी के इच्छुक हों तो यह विकल्प आवेदन पत्र के कालम 11 में लिखें। अन्यथा यह माना जायेगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में अंग्रेजी में लिखेंगे।

एक बार का विकल्प अंतिम समझा जायगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायगा।

5. लिखित परीक्षा का अंग्रेजी प्रश्नपत्र (i) का उत्तर सभी उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी में देना अनिवार्य है।

6. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे उन्हें 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से ऊपर रखा जायेगा (प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को, प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गये कुल अंकों के अनुसार उनके गुणक्रम में परस्पर व्यवस्थित किया जायगा।

7. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाईंग) अंक निर्धारित करेगा।

9. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपि परीक्षा के लिये बुलाया जाएगा जो आयोग के द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

10. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

11. अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों के अधिकतम अंकों में से 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जाएंगे।

12. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष लिहाज रखा जाएगा कि भावाभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का स्तर और पाठ्य-विवरण

टिप्पणी : प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है।

अंग्रेजी :— यह प्रश्न-पत्र इस रूप में तैयार किया जाएगा जिसमें उम्मीदवारों के अंग्रेजी—व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध

लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए । अंक देते समय वाक्य-विन्यास, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा-कौशल को ध्यान में रखा जाएगा । इस प्रश्न-पत्र में निबन्ध-लेखन, सार-लेखन, मसौदा-लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग, आमान, मुहावरों और पूर्वसर्ग (प्रोपोजीशन, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य आदि शामिल किए जा सकते हैं ।

सामान्य ज्ञान: निम्नलिखित विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी : भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, सामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान तथा दिन-प्रति दिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए । उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह समझा है । उनके उत्तरों में किसी पाठ्यक्रम पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है ।

भाग—ख

आशुलिपि परीक्षाओं की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन-परीक्षाएं होंगी । एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए उम्मीदवारों को क्रमश: 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे । हिन्दी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमश: 60 और 65 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे ।

परिशिष्ट—II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है ।,

क—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि (स्टेनोग्राफर) सेवा : इस समय केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित चार ग्रेड हैं ।

चयन ग्रेड: रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900 (ग्रेड-1 से प्रोन्नत व्यक्तियों को इस वेतन क्रम में कम से कम रु० 500 वेतन दिया जाता है ।)

ग्रेड-1—रु० 350-25-650-द० रो०-30-770- रु० (ग्रेड-2 से प्रोन्नत व्यक्तियों को कम से कम रु० 400 वेतन दिया जाता है ।)

ग्रेड-2—रु० 210-10-270-15-300-द० रो०- 15 450-द० रो०-20-530 रु० ।

ग्रेड-3—रु० 130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-द० रो०-8-280 ।

(2) सेवा के ग्रेड II में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं ।

(3) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति की उसके पद पर पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा तो, उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि और जितनी बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है ।

(4) सेवा के ग्रेड II में भर्ती किये गये व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना के भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा । किन्तु उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है ।

(5) सेवा के ग्रेड II में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अलग उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किय जाने के पात्र होंगे ।

(6) जिन लोगों की नियुक्ति सेवा के ग्रेड II में उनकी अपनी इच्छा के अनुसार की जाएगी, वे उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के कैडर में अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा न कर सकेंगे ।

(ख) भारतीय विदेश सेवा (ख)—आशुलिपिकों के उप-संवर्ग का ग्रेड-II

भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक उप-संवर्ग के ग्रेड-II का वेतन क्रम रु० 210-10-270-15-300-द०रो०-15-450-द० रो०-20-530 है । भारतीय विदेश सेवा (ख) के उप-संवर्ग के ग्रेड-II में नियुक्त अधिकारियों पर, भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' (आर० सी० एस० पी०) नियम 1964 तथा भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम, 1961, जैसे कि वे भारतीय विदेश सेवा 'ख' पर लागू होने हैं, तथा अन्य ऐसे नियम तथा आदेश जो भारत सरकार द्वारा उन पर लागू किए जाएं लागू होंगे ।

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों तक ही सीमित है । इस सेवा में नियुक्त अधिकारियों की बदली आमतौर पर विदेश व्यापार तथा संभरण मंत्रालय (विदेश व्यापार विभाग) के अतिरिक्त अन्य मंत्रालय में नहीं की जा सकती । हां, उनकी नियुक्ति विदेशों में अन्य मंत्रालय के उपस्थिति-रजिस्टर में आनीत पदों पर की जा सकती है और अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों इत्यादि में भी उन्हें नियुक्त किया जा सकता है । वे भारत में या इस से बाहर गैर-पारिवारिक केन्द्रों सहित कहीं भी सेवा पर नियुक्त किये जा सकते हैं ।

विदेश सेवा के दौरान भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को अपने मूल वेतन के अलावा सम्बन्धित देशों के निर्वाह खर्च को देखते हुए समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर विदेश-भत्ता भी दिया जाता है । उसके अलावा भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम, 1961 जैसे कि वे भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर लागू होते हैं, के अनुसार उन्हें विदेश सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायतें भी दी जाती हैं :—

(i) सरकार द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार निशुल्क साजसामान-युक्त आवास ।

(ii) सहायिक चिकित्सा योजना के अधीन चिकित्सा सुविधाएं ।

(iii) कुछ शर्तों के अधीन 8 से 21 वर्ष तक की आयु के भारत में शिक्षा पाने वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार लम्बी छुट्टियों के दौरान माता पिता से मिलने के लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया ।

(iv) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर 5 से 18 वर्ष तक की आयु के अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए शिक्षा-भत्ता ।

(v) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर और विहित नियमों के अनुसार विदेश सेवा के सम्बन्ध में सज्जा भत्ता । जिन अधिकारियों की नियुक्ति ऐसे देशों में की जाती है जहां असमान्य रूप से ठंड पड़ती है, उन्हें सामान्य सज्जा-भत्ता के अलावा विशेष सज्जा-भत्ता दिया जाता है ।

(vi) विहित नियमों के अनुसार अधिकारियों तथा उनके परिवार के लिए छुट्टी में घर जाने आने को यात्रा-व्यय ।

सेवा के सदस्यों पर, कुछ आशोधनों के साथ, समय-समय पर यथा संशोधित छुट्टी नियम, 1933 लागू होंगे । कुछ पड़ौसी देशों को छोड़ कर अन्य देशों म नियुक्त अधिकारी विदेश सेवा के लिए, परिशोधित छुट्टी नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य छुट्टी के 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त छुट्टी जमा के हकदार होंगे ।

भारत में रहते हुए अधिकारी अपने समान तथा उसी स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य रियायतों के हकदार होंग ।

भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 तथा उनके अधीन जारी किये गए आदेश लागू होते हैं ।

इस सेवा में नियुक्त अधिकारियों पर समय-समय पर यथा संशोधित उदारीकृत पैंशन, नियम, 1950 के तथा उसके अधीन जारी किय गये आदेश लागू होते हैं ।

(ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा

(क) (i) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

चयन ग्रेड :—रु० 350–25–500–30–590–द० रो०–30–800–द० रो०–30–830–35–900 (ग्रेड I से पदोन्नत व्यक्तियों को इस वेतनमान में 500 रु० न्यूनतम वेतन दिया जाता है) ।

ग्रेड-I :—रु० 350–25–650–द० रो०–30–770–(ग्रेड II से पदोन्नति व्यक्तियों को 400 रु० न्यूनतम वेतन दिया जाता है) ।

ग्रेड II:—रु० 210–10–270–15–300–द० रो०–15–450–द० रो०–20–530 ।

ग्रेड III :—रु० 130–5–160–8–200–द० रो०–256–द० रो०–8–280 ।

(ii) इस सेवा के ग्रेड II में भर्ती किये गये व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे । इस अवधि में उन्हें ऐसा कोई प्रशिक्षण लेना अथवा ऐसी कोई परीक्षा पास करना अपेक्षित हो सकता है जिसे सरकार द्वारा विहित किया जाए । परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर यदि उनमें से किसी का कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक पाया जाए तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है अथवा उसकी परिवीक्षा की अवधि उतनी अवधि तक आगे बढ़ायी जा सकती है, जितना कि सरकार ठीक समझे ।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की भांति स्टाफ का तबादला अन्य मंत्रालयों में नहीं किया जा सकता ।

(ग) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी :

(i) पैंशन—लाभ प्राप्त कर सकेंगे; और

(ii) गैर-अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के उन नियमों के अन्तर्गत उस निधि में अभिदान करेंगे जो सेवा में आने की तारीख को नियुक्त हुए रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते हैं ।

(घ) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्त उम्मीदवार रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किय गये आदेशों के अनुसार पासों तथा विशेष टिकट-आदेशों (पी० टी० ओ०) की सुविधा पाने के हकदार होंगे ।

(ङ) जहां तक छुट्टी तथा अन्य सेवा शर्तों की सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में रखे गये स्टाफ के साथ उसी तरह का व्यवहार किया जायेगा जैसा कि रेलवे के अन्य स्टाफ के साथ किया जाता है परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में वे उन्हीं नियमों द्वारा शासित होंगे जो उन अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में है ।

घ—सशस्त्र सेवा मुख्यालय आशुलिपिक सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित तीन ग्रेड हैं :—

(1) आशुलिपिक ग्रेड-1 (निजी सचिव) श्रेणी II राजपत्रित (चयन ग्रेड) वेतनमान रु० 350–25–500–30–590–द० रो०–30–800 ग्रेड 1 से पदोन्नत व्यक्तियों को इस वेतनमान में शुरू में 500 रु० वेतन दिया जाता है ।

(2) आशुलिपिक ग्रेड-1 (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) श्रेणी II राजपत्रित वेतनमान रु० 350–25–650–द० रो०–30–740 ग्रेड II से पदोन्नत व्यक्तियों को इस वेतनमान में शुरू में 400 रु० वेतन दिया जाता है ।

(3) आशुलिपिक ग्रेड II (वैयक्तिक सहायक) श्रेणी II अराजपत्रित वेतनमान 210–10–270–15–300–द० रो०–15–450–द० रो०–20–530 ।

2. अस्थायी आशुलिपिक ग्रेड II के रूप में सीधे भर्ती होने वाले व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । इस अवधि में सेवा का रिकार्ड असंतोषजनक होने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से निकाला जा सकता है । परिवीक्षा की अवधि के दौरान सेवा के किसी सदस्य को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं ।

3. सशस्त्र सेवा मुख्यालय में भर्ती किये गये आशुलिपिक ग्रेड II आमतौर पर दिल्ली । नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेवा मुख्यालय और अन्तःसेवा संगठनों के किसी एक कार्यालय में नियुक्त किये जायेंगे । किन्तु उनकी बदली दिल्ली । नई दिल्ली से बाहर ऐसे नगरों में भी की जा सकेगी जहां सशस्त्र सेना मुख्यालय अन्तः सेवा संगठनों के कार्यालय स्थित हों ।

4. आशुलिपिक ग्रेड II समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार ग्रेड-1 (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) तथा स्टे० ग्रेड I (एम० पी० ए०), स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 (निजी सचिव) के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

5. छुट्टी चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तः सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं ।

ङ—केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत

केन्द्रीय सतर्कता आयोग में आशुलिपिक के पदों का वेतनक्रम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में आशुलिपिक के पदों के समान रु० 210–10–270–15–300–द० रो०–15–450–द० रो०–20–530 है किन्तु ये पद उस सेवा में सम्मिलित नहीं है ।

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर 1972

सं० एम० 118/1/1/72—भारत सरकार ने, हज यात्रा से संबद्ध मामलों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1972-73 के लिए केंद्रीय हज सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है । निम्नलिखित व्यक्ति इसके सदस्य होंगे ।

1. श्री एस० ए० मेंहदी	अध्यक्ष
2. श्री अकबर अली खान	सदस्य
3. मौलाना मोहम्मद मियां फारुखी	सदस्य
4. श्री असद मदनी, संसद सदस्य	सदस्य
5. श्री अहमद बख्शी सिंधी	सदस्य
6. श्री सैयद अहमद आगा, संसद सदस्य	सदस्य
7. श्री सैयद अहमद, संसद सदस्य	सदस्य
8. श्री लुत्फुल हक, संसद सदस्य	सदस्य
9. श्री मोहम्मद इस्माइल	सदस्य
10. श्री दाउद अली मिर्जा	सदस्य
11. मौलाना नूरुल्लाह	सदस्य
12. श्री पी० एम० सईद, संसद सदस्य	सदस्य
13. श्रीमती नजमा हेप्तुल्ला	सदस्य
14. श्री जैन ए० रंगूनवाला	सदस्य
15. श्री अब्दुल जलील चौधरी	सदस्य
16. श्री अजीम नैयब जी	सदस्य
17. श्री खुर्शीद अहमद	सदस्य
18. श्री मोहिद्दीन कुट्टी	सदस्य
19. श्री सईद-उल हसन	सदस्य
20. श्री मोहम्मद अली	सदस्य

2. श्री एस० ए० मेहदी, इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे ।

3. विदेश मंत्रालय में हज कार्यों के कार्यभारी, निदेशक, इस बोर्ड के पदेन सचिव और संयोजक होंगे ।

4. बोर्ड का कार्य केवल सलाह देना होगा । बोर्ड की बैठकें सचिव द्वारा, सदस्यों के अनुरोध पर सरकार द्वारा निर्धारित समय पर बुलाई जाएंगी । सामान्यतः सदस्यों को बैठक के लिए दस दिन का नोटिस दिया जाएगा । बैठकों की कार्यवाही गोपनीय होगी और सरकार को, जैसा वह उचित समझे कार्रवाई करने के लिए पेश की जाएगी । बोर्ड की बैठकों में किसी पत्र-प्रतिनिधि को उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा ।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, सभी राज्य सरकारों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्र, सभी राज्य हज समितियां और संबद्ध जहाजरानी कम्पनी को सूचनार्थ प्रेषित की जाए ।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

आर० सी० अरोड़ा,
निदेशक (याना और हज कार्य)

विदेश व्यापार मंत्रालय

हस्तशिल्प अनुभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त, 1972

संकल्प

सं० 1/8/70-एच० सी०—इस मंत्रालय के संकल्प सं० 1/8/70-एच० सी०, दिनांक 7 जनवरी, 1971 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार ने, श्रीमती सरला गोपालन, संयुक्त सचिव, केरल सरकार, उद्योग (सी) विभाग, त्रिवेन्द्रम को तत्काल प्रभाव से अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली के एक सदस्य के रूप में मनोनीत करने का विनिश्चय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और इसकी एक एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

टी० सी० ए० श्रीनिवासन, उप-निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त, 1972

सं० ओ० 11017/34/71-पी० एच० ई० (एल० एस० जी०) यह निर्णय किया गया है कि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के संकल्प सं० ओ० 11017/34/71-पी० एच० ई० दिनांक 19 जुलाई, 1971 में गठित किया गया "जलपूर्ति, सफाई और पर्यावरण का कार्यकारी बोर्ड" नामक उच्चाधिकार बोर्ड उन कार्यों के अलावा जो उसे सौंपे गये हैं, नगर प्रशासन में अनुसंधान और प्रशिक्षण की केन्द्रीय प्लान स्कीम और राज्य क्षेत्र में नगर सामुदायिक विकास योजना की क्रियान्विति का काम भी देखेगा ।

तदनुसार 19 जुलाई, 1971 के संकल्प सं० ओ० 1017/34/71-पी०एच० ई० के पैरा 3 के उप पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाता है :—

(1) "जलपूर्ति और सफाई तथा नगर प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान सम्बन्धी विभिन्न केन्द्रीय, केन्द्रीय पुरोनिधानित और राज्य योजनाओं और नगरीय सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी मामलों में निर्णय लेना, जिसमें संसद द्वारा नोट की गई बजट व्यवस्था के अन्दर वित्तीय मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत करना भी शामिल है ।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रतिलिपि सभी मंत्रालयों/भारत सरकार के सभी विभागों/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/जलपूर्ति, सफाई और पर्यावरण कार्यकारी बोर्ड के सभी सदस्यों को भेज दी जाए ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभागों और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी अधिकारियों और अनुभागों को एक एक प्रतिलिपि प्रेषित ।

सतीश कुमार, उप-सचिव

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त, 1972

संकल्प

सं० 2-58/72-नीति—25 और 26 जुलाई, 1972 को हुए स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश का पालन करते हुए कुछ क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की धीमी प्रगति के कारणों का अध्ययन करने तथा इस आवश्यक गति देने के उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है । इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2. स्वास्थ्य मंत्री, असम	सदस्य
3. स्वास्थ्य मंत्री, बिहार	सदस्य
4. स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा	सदस्य
5. स्वास्थ्य मंत्री, जम्मू और काश्मीर	सदस्य
6. स्वास्थ्य मंत्री, मध्य प्रदेश	सदस्य
7. स्वास्थ्य मंत्री, मणीपुर	सदस्य
8. स्वास्थ्य मंत्री, मैसूर	सदस्य
9. स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान,	सदस्य
10. स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11. स्वास्थ्य मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
12. आयुक्त (परिवार नियोजन) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	संयोजक

2. समिति को अन्य विशेषज्ञ और सदस्य सहयोगित करने का अधिकार होगा ।

3. समिति के निदेश पद इस प्रकार होंगे (क) असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणीपुर, मैसूर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों के कुछ क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की धीमी प्रगति के कारणों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना और (ख) कार्यक्रम को आवश्यक गति देने के लिए उपाय सुझाना ।

4. यह समिति अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 30 सितम्बर, 1972 तक दे देगी ।

5. इस पर होने वाला खर्च स्वीकृत बजट अनुदान में से मुख्य शीर्ष "30-क प० नि० ग० परिवार नियोजन ग/तकनीकी परामर्श और परीवेक्षण ग/(1)(4)अन्य व्यय" के अन्तर्गत पूरा किया जाएगा ।

आदेश

आदेश है कि आम सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

यह भी आदेश है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को परिपत्रित कर दिया जाए ।

कौशल कुमार दास, सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 1972

संकल्प

सं० 20 पी०जी० (13)/71—नौवहन और परिवहन मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित संकल्प सं० 20-पी० जी० (9)/70 दि० 15-12-1970 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव के स्थान पर पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई एवं बिजली विभाग के प्रभारी मंत्री राष्ट्रीय हारबर बोर्ड के सदस्य होंगे ।

के० शिवराज, संयुक्त सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति बोर्ड के सदस्यों को, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधानमंत्री के सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प, सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

के० शिवराज, संयुक्त सचिव

रेल मन्त्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 1972

सं० 72/आर०ई०/161/23—सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सामान्य सूचना के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इटावा रेलवे सब-स्टेशन (किलोमीटर 1157.50) से लेकर शिकोहाबाद रेलवे सब-स्टेशन (किलोमीटर 1211.15) बनायी गयी 132 किलोवाल्ट दोहरी परिपथ पारेषण लाइन को, जो रेल की पटरी के समानांतर और निकटवर्ती गांवों के आस-पास जा रही है, 30-8-1972 को और इस के बाद 132 के० वी० ए० सी० 50 साइकल प्रति सेकेंड वाली बिजली से संचारित कर दिया जायेगा । इसी तारीख को और इसी तारीख से ऊपरी पारेषण लाइन हर समय बिजली युक्त समझी जायेगी और कोई अनधिकृत व्यक्ति उक्त ऊपरी लाइन के पास नहीं जायेगा तथा न ही उसके आस-पास काम करेगा ।

एच० एफ० पिंटो, सचिव
रेलवे बोर्ड

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग) (रो० एवं प्र० महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1972

सं० ई०ई०-1-3/3/72—भारत सरकार के श्रम और रोजगार विभाग (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) अधिसूचना संख्या ई०ई० 1-3/8/69, दिनांक 7 जुलाई 1970 द्वारा पुनर्गठित केन्द्रीय रोजगार समिति के सदस्यों की सूची में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं, अर्थात्

उक्त सूची में प्रविष्टि 20 और 27 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, नामत :—

"20क. अरुणाचल प्रदेश प्रशासन का एक प्रतिनिधि ।

27क. मिजोराम प्रशासन का एक प्रतिनिधि" ।

ग० जगन्नाथ, उप-सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

RULES

New Delhi, the 10th September 1972

No. 10/13/72-*CS.II.*—The rules for a combined competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1973 for selection of (i) Released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962 but before 10th January, 1968, or who had joined any pre-commission training before the latter date, but who were commissioned on or after that date, and (ii) ex-Servicemen for the purpose of filling temporary vacancies reserved for them in the Services/posts covered by Category I and Category II respectively, as follows, are published for general information. In pursuance of the provisions contained in rule 5 of the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Reservation of Vacancies) Rules 1971, and rule 4 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Central Civil Services and posts Class III and Class IV) Rules, 1971. (The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers) (Reservation of Vacancies Rules, 1971, and the Ex-Servicemen) (Reservation of Vacancies in the Central Services and Posts Class III and Class IV) Rules, 1971, aforesaid shall cease to be in force on and from the 29th January, 1974 and 1st July, 1974 respectively unless extended by Government.

CATEGORY I

Class II Services/posts

(i) Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre);

(ii) Central Secretariat Stenographers' Service—Grade II (for inclusion in the Select List of the Grade);

(iii) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service—Grade II;

(iv) Posts of Stenographer in the office of the Central Vigilance Commission, Delhi; and

(v) Posts of Stenographer in other Departments and Offices of the Government of India not participating in the Central Secretariat Stenographers' Service/I.F.S.(B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

CATEGORY II

Class III Services/posts

(i) Railway Board Secretariat Stenographers' Service—Grade II (for inclusion in the Select List of the Grade); and

(ii) Posts of Stenographer in other Departments and Offices of the Government of India not participating in the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

Subject to the provisions of rule 2, a candidate may apply for admission to the examination in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered for.

N.B. I.—Candidates are required to specify clearly in their applications the order of preferences for the services/posts for which they wish to be considered. They are advised to indicate as many services/posts as they wish to so that having regard to their ranks in the order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointments.

N.B. II.—Some departments/offices of the Government of India making recruitment through this examination will require only English Stenographers; and appointments to posts of Stenographers in these departments/offices on the results of this examination will be made only from amongst those who are recommended by the Commission on the basis of the Written Test and Shorthand Tests in English (cf. para 4 of Appendix I to the Rules).

N.B. III.—No request for addition to or alteration in the order of preferences for the services/posts originally indicated by a candidate in his application will be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before 31st October 1973.

2. (a) Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers will be eligible to compete only for vacancies reserved for them in the posts of Stenographer in Class II Services/posts included in Category I.

(b) Ex-Servicemen will be eligible to compete only for vacancies reserved for them in the posts of Stenographers in Class III Services/posts included in Category II.

3. The number of vacancies to be filled on the results of this examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964; the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967; the Constitution (Goa, Daman and Diu), Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu), Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

4. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to the Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

5. Subject to the provisions of these Rules.

(i) Emergency Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, but before 10th January, 1968, or who had joined any pre-commission training before the latter date, but who were commissioned on or after that date and who have been released during 1971 will be eligible to appear at the examination.

(ii) Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, but before 10th January, 1968, or who had joined any pre-commission training before the latter date, but who were commissioned on or after that date, and who have been released during the years 1971 or 1972 prior to the date of this notification or are due to be released thereafter till the end of 1973 will be eligible to appear at the examination.

NOTE 1.—For the purpose of these Rules, 'release' means :

(i) release as per the scheduled year of release,

(ii) invalidment owing to a disability attributable to or aggravated by military service,

from the Armed Forces After a spell of service, and *not* during or at the end of training, or during or at the end of Short Service Commission granted to cover the period of such training prior to being taken in actual service, nor does it cover cases of officers released on account of misconduct, or inefficiency or at their own request.

NOTE 2.—The expression "scheduled year of release" means :—

(i) in so far as it relates to the Emergency Commissioned Officers the year in which they are due for release in accordance with the phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence; and

(ii) in so far as it relates to the Short Service Commissioned Officers, the year in which their normal tenure of 3 or 5 years, as the case may be, as Short Service Commissioned Officers is to expire.

NOTE 3.—The candidature of a person shall be cancelled, if after submitting his application, he is granted permanent Commission in the Armed Forces, or he resigns from the Armed Forces, or he is released therefrom on account of misconduct, in-efficiency or at his own request.

NOTE 4.—Officers belonging to the Volunteer Reserve Forces of the Armed Forces and called upon for temporary service will not be eligible for admission to this examination.

6. Subject to the provisions of these Rules, all Ex-Servicemen will be eligible to appear at this examination.

NOTE.—For the purpose of these rules, "Ex-Serviceman" means a person who has served in any rank (whether as a combatant or non-combatant) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of not less than six months as on 7th November, 1972 and,—

(i) has been relased, otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or has been transferred to the reserve pending such release, or

(ii) has to serve for not more than six months as on 7th November, 1972 for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve as aforesaid.

Explanation.—For the purpose of this rule "Armed Forces of the Union" means the Naval, Military or Air Forces of the Union and includes the Armed Forces of the Former Indian States.

7. (1) A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates who are non-citizens, in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, viz., 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will however require, certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre).

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

8. (A) An Emergency Commissioned Officer/Short Service Commissioned Officer seeking admission to the examination under rule 5 above, must not have attained the age of 24 years on the 1st January of the year in which he joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training.)

(B) The age limit of 24 years will be relaxable up to the age of 35 years in respect of such of the Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers as had been regularly appointed as Stenographers (including language Stenographers)/Clerks/Stenotypists in the various Departments/Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the office of the Election Commission and the Central Vigilance Commission and had rendered not less than 3 years continuous service as Stenographers (including language Stenographer)/Clerk/Stenotypist on the 1st January of the year in which they joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post Commission training) and

would have so continued but for joining the Armed Forces or have rendered on 1st January, 1973 not less than 3 years continuous service as regularly appointed Stenographers (including language Stenographers)/Clerks/Stenotypist in the various Departments/offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the office of the Election Commission and the Central Vigilance Commission and continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be available to persons appointed as Stenographers on the basis of earlier examinations held by the Union Public Service Commission in :—

(i) Central Secretariat Stenographers' Service Grade II, or

(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service Grade II, or

(iii) Indian Foreign Service (B) Grade II of the Stenographers' sub-cadre; or

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service, Grade II.

NOTE (1).—Service rendered by R.M.S. Sorters employed in Subordinate offices of P. & T. Department shall be treated as service rendered in the grade of Clerk for purposes of Rule 8(B) above.

(2) Service rendered by Service Clerks employed in Defence installations shall not be counted for the purpose if rule 8(B) above.

(C) An Ex-Serviceman seeking admissison to the examination under rule 6 above must have attained on 1st January, 1973 the age of 18 years and must not have attained an age exceeding 25 years by more than his total service in the Armed Forces increased by three years.

NOTE.—The period of "call up service" of an ex-Serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purposes of rule 8(C) above.

(D) The upper age limit in all the above cases, will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry, and has received education through the medium of French at some stage.

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vi) up to a maximum eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(xi) up to a maixmum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreing country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(B) The age limit prescribed in sub-para (A) above will also be relaxable :—

(i) up to a maximum of three years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, is a *bona fide* displaced person from Pakistan;

(ii) up to a maximum of eight years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Pakistan;

(iii) up to a maximum of four years, if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is a resident of the Andaman and Nicobar Islands; and

(iv) up to a maximum of three years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces, or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is an Indian Citizen and is a repatriate from Sri Lanka.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 8(B) above, shall be cancelled if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

(ii) A Stenographer (including language Stenographer)/Clerk/Stenotypist who was on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority at the time of his joining the pre-Commission training in the Armed Forces or getting the Commission where there was post-Commission training or is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority, on release from the Armed Forces will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

(F) The Freedom Fighters of Goa, Daman and Diu who were not employees of the Portuguese Government of Goa, Daman and Diu and participated in the liberation struggle and suffered as a consequence thereof, imprisonment or detention for not less than six months under former Portuguese Administration, will be permitted to appear at the examination provided they have not attained the age of 35 years on 1-1-1972.

NOTE.—Candidates claiming age concession under 8(F) above will not be entitled to the age concessions allowed under rule 8(D) above.

9. No candidate shall be permitted to compete more than two times at the examination, the restriction being effective from the examination held in 1969.

10. A candidate competing for Services and posts in Category I (see rule 2) must take the examinations held in the year of his release and in the year following the year of his release, as his first and second chances respectively.

11. Notwithstanding anything contained in Rule 10—

(i) a candidate released during 1971 may take the examination to be held in 1973 as his second chance;

(ii) a candidate invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service, during 1970 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1970 examination may take the examination to be held in 1973 as his second chance.

(iii) a candidate invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service, during 1972, after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1972 examination may take the examination to be held in 1973 as his first chance.

(iv) An EC/SSC Officer who joined the pre-commission training in the Armed Forces before 10-1-68 but was commissioned on or after 10-1-68 may take the examination to be held in 1973, subject to the conditions indicated below—

(a) as his first chance if released during 1971 or 1972.

(b) as his first chance, if invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1970 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1970 examination.

(c) as his second chance if released during 1970.

NOTE I.—The provisions contained in clause (ii) and clause (iv) (b) above will not apply to candidates who were due for release in 1970.

NOTE II.—The provision contained in clause (iii) above will not apply to candidates who were due for release in 1972.

NOTE III.—Candidates who in terms of the provisions of this rule are eligible to take their second chance in 1974, may avail of the same, if the provisions of the Rules referred to in rule 1 of these Rules are extended by Government beyond the 28th January 1974.

12. Candidates must have passed one of the following examinations or must possess one of the following certificates :—

(i) Matriculation examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India;

(ii) an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation certificate for entry into services;

(iii) Cambridge School Certificate Examination (Senior Cambridge);

(iv) European High School Examination held by the State Governments;

(v) Tenth Class certificate of the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry;

(vi) Tenth class Certificate from the Technical Higher Secondary School of the Delhi polytechnic;

(vii) Pass in the examination held by a recognised Higher Secondary School/Multipurpose School in India at the end of the *penultimate* year of a Higher Secondary Course/Multipurpose Course (which enables a candidate to get admission to the 3 year degree course);

(viii) Tenth Class Certificate from a recognised school preparing students for the Indian School Certificate Examination;

(ix) Junior examination of the Jamia Millia Islamia, Delhi, in the case of *bona fide* resident students of Jamia only

(x) Bengal (Science) School Certificate;

(xi) Final School standard Examination of the National Council of Education, Jadavpur, West Bengal (since inception);

(xii) the following French Examinations of Pondicherry.
(i) 'Brevet Elementaire' (ii) Brevet d'Enseignement Primaire de Langue Indienne (iii) Brevet D'etudes du Primier Cycle' (iv) Brevet D'Enseignment Primarie Superieur de Langue Indienne' and (v) 'Brevet de Langue Indienne (Vernacular)'.

(xiii) Indian Army Special Certificate of Education;

(xiv) Higher Education Test of Indian Navy;

(xv) Advanced Class (India Navy) Examination;

(xvi) Ceylon Senior School Certificate Examination;

(xvii) Certificate granted by the East Bengal Secondary Education Board, Dacca;

(xviii) (a) Secondary School Certificates granted by the Board of Secondary Education at Comilla/Rajshahi/Khulna in erstwhile East Pakistan;

(b) Secondary School Certificate awarded by the Board of Intermediate and Secondary Education, Jessore in erstwhile East Pakistan;

(xix) School Leaving Certificate Examination of Government of Nepal;

(xx) Anglo-Vernacular School Leaving Certificate (Burma);

(xxi) Burma High School Final Examination Certificate;

(xxii) Anglo-Vernacular High School Examination of the Education Department, Burma (pre-war);

(xxiii) Post-War School Leaving Certificate of Burma;

(xxiv) the 'Vinit' examination of the Gujarat Vidyapith, Ahmedabad;

(xxv) Pass in the 5th Year of Lyceum' a Portugese qualification in Goa, Daman and Diu;

(xxvi) General Certificate of Education Examination of Ceylon at 'Ordinary' level provided it is passed in six subjects including English and Mathematics and either Sinhalese or Tamil;

(xxvii) General Certificate of Education Examination of the Associated Examination Boards, London at 'Ordinary Level provided it is passed in five subject including English;

(xxviii) The Junior/Secondary Technical School Examination conducted by any of the State Boards of Technical Education;

(xxix) Purva Madhyama (with English), or old Khand Madhyama (first two years course) and special examination in additional subjects with English as one of the subjects of the Varnaseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi; and

(xxx) Carta de Curso de Formaco de Serralheiro (Certificate in Smithy Course) and Carta de Curso de Montado Electricista (certificate in Electrician course) awarded by the Escola Industrial Commercial de Goa, Panaji, under the Portugese set up prior to liberation of Goa, Daman and Diu.

NOTE 1.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examniation. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE 2.—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

13. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

14. A candidate serving in the Armed Forces must submit his application for this examination to the Officer Commanding of his unit who will forward it to the Union Public Service Commission.

All other candidates in Government Service whether in a permanent or a temporary capacity or as workcharged employees other than casual or daily-rated employees must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the examination.

15. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

Note.—In the case of the disabled ex-Defence Services personnel a certificate of fitness granted by Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

16 The decision of the Commission as to the eligibility or therwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

17. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

18. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

19. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall, or of misbehaviour in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution—

(a) be debarred permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

20. After the examination—

(a) the candidates competing for Services/posts included in Category I will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service; and for appointment to other Services/posts decided to be filled on the results of this examination; and

(b) the candidates competing for Services/posts included in Category II will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade II of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service and for appointment to other Services/posts with due regard to the number of vacancies available to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to fitness of these candidates for inclusion in the Select List of Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service and for appointment to vacancies in other Services/posts irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

21. If on the result of the examination a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers in Category I Services/posts and for Ex-Servicemen in Category II Service posts, the unfilled vacancies shall be filled in the manner prescribed by the Government in this behalf.

22. Due consideration will be given at the time of making appointments on the results of this examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts (cf. Col. 26 of the application form).

23. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

24. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

25. Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination, are given in Appendix II.

M. K. VASUDEVAN,
Under Secretary.

APPENDIX I

1. The competitive examination comprises :

(a) Written examination in two subjects as shown in para 2 below carrying a maximum of 200 marks.

(b) Shorthand tests as shown in para 2 and Part 'B' of the schedule below for those who qualify at the written examination, carrying a maximum of 300 marks, of which 50 marks shall be assigned to the Evaluation of the Record of Service in the Armed Forces in the case of Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers.

2. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

Subject	*Time Allowed*	*Maximum Marks*
(i) English	3 hours	100
(ii) General Knowledge	3 hours	100

PART B—SHORTHAND TESTS IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST).

300 marks (250 marks in the case of E.C.O./S.S.O.Os.

NOTE.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

3. The syllabus for the Written Test and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix and the question papers for the written examination will be the same as for the corresponding subjects in the scheme of the regular Stenographers' Examination with which this examination will be held concurrently.

4. Candidates are allowed the option to answer paper (ii) General Knowledge, of the Written Test, either in Hindi (Devanagari) or in English. The option will apply to the complete paper and not to a part thereof.

Candidates who opt to answer the aforesaid paper in Hindi (Devanagari) will be required to take the Shorthand Tests, also in Hindi (Devanagari) only, and candidates who opt to answer the aforesaid paper in English will be required to take the Shorthand Tests also in English only.

NOTE.—Candidates desirous of exercising the option to answer paper (ii) General Knokledge, of the Written Test and take Shorthand Tests in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in Col. 11 of the application form. Otherwise, it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand Tests in English.

The option once exercised shall be treated as final; and no request for alteration in the said column shall be entertained.

5. Paper (i) English of the Written Test, must be answered in English by all candidates.

6. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Schedule below).

7. Candidates must write the papers in their own hands. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

8. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

9. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for shorthand test.

10. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

11. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

12. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

PART A

Standard and syllabus of the written test

Note.- The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

English.—The paper will be designed to test the candidates knowledge of English Grammer and Composition, and generally their power to understand and ability to write correct English. Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language. The paper may include questions on essay writing; precis writing; drafting; correct use of words; easy idioms and prepositions; direct and indirect speech, etc.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plans, Indian History and Culture, general and economic geography of India, current events, everyday science and such matters of every day observation as may be expected of an educated person. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

PART B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Tests in English will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes, which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The Shorthand Tests in Hindi will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes, which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

A. *The Central Secretariat Stenographers' Service*

The Central Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows :—

Selection Grade.—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. (Persons promoted from Grade I are allowed a minimum salary of Rs. 500 in the scale).

Grade I.—Rs. 350—25—650—EB—30—770 (Persons promoted from Grade II are allowed a minimum salary of Rs. 400).

Grade II.—Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Grade III.—Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280.

(2) Persons recruited to Grade II of the Service will be on probation for a period of two years. During this period, they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government.

(3) On the conclusion of the period of probation Government may confirm the person concerned in his appointment or if his work or conduct, in the opinion of Government, has been unsatisfactory, he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Persons, recruited to Grade II of the Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such ministry or office.

(5) Persons recruited to Grade II of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to Grade II of the Service in pursuance of their option for that service will not after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post included in the cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

B. *Indian Foreign Service (B)—Grade II of the Stenographers' Sub-cadre*

The scale of Grade II of the SSC of the Indian Foreign Service (B) is Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530. The officers appointed to Grade II of the SSC of the I.F.S. Branch 'B' will be governed by the I.F.S. Branch (B) (RCSP) Rules 1964, I.F.S. (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to I.F.S. 'B' officers and such other rules and orders as may be made applicable to them by the Government of India.

The Indian Foreign Service Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad. The officers appointed to this service are normally not liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Foreign Trade. They are, however, liable to be posted abroad against the posts borne on the strength of other Ministries and also liable to be posted to International Commissions etc. They are liable to serve anywhere in India or outside India, including non-family stations.

During service abroad IFS(B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS (B) officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance Facilities under the assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 21 studying in India to visit their parents during the long vacation subject to certain conditions.

(iv) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(v) Outfit allowance in connection with service abroad, in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time. In addition to ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries where abnormally cold climatic conditions exist.

(vi) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

The Revised Leave Rules 1933 as amended from time to ne will apply to members of the service, subject to certain difications. For service abroad, except in some neigh-ring countries, officers, are entitled to an additional edit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

While in India, officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government Servants of equal and similar status.

Officers of the IFS (B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules 1960, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

Officers appointed to this Service are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950 as amended from time to time and by orders issued thereunder.

C. *The Railway Board Secretariat Stenographers' Service*

(a) (i) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows :—

Selection Grade : Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900 (Persons promoted from Grade I are allowed a minimum salary of Rs. 500/- in the scale).

Grade I : Rs. 350—25—650—EB—30—770 (Persons promoted from Grade II are allowed a minimum salary of Rs. 400/-).

Grade II : Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Grade III : Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280.

(ii) Persons recruited to Grade II of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or conduct in the opinion of the Government of any of them has been unsatisfactory, he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(b) The Railway Board Secretariat Stenographer's Service is confined to the Ministry of Railways and Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Stenographers' Service.

(c) Officers of the Railway Board's Stenographers' Service recruited under these rules :

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) Shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(d) The candidates appointed to the Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be entitled to the privilage of Passes and Privilage Ticket Orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

(e) As regards leave and other conditions of Service, staff included in the Railway Board's Secretariat Stenographers' Service are treated in the same way as other Railway Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by rules applicable to other Central Government employees with Headquarters at New Delhi.

D. *Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.*

The AFHQ Stenographers Service has, at present, three grades as follows :

(1) STENOGRAPHERS GRADE I (Private Secretary) Class II-Gazetted (Selection Grade).

Scale of Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800. Persons promoted from Grade I are allowed a higher start of Rs. 500/- in the Scale.

(2) STENOGRAPHERS GRADE I (Senior Personal Assistants) Class II-Gazetted.

Scale of pay Rs. 350—25—650—EB—30—740. Persons promoted from Grade II are allowed a higher start of Rs. 400/- in the scale.

(3) STENOGRAPHERS GRADE II (Personal Assistants) Class II—Non-Gazetted.

Scale of Pay Rs. 210—10—270—15—300—EB—15 450—EB—20—530.

2. Persons recruited direct as temporary stenographers Grade II (Personal Assistants) will be on probation for a period of 2 years. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationers from service. During probation, a member of the Service may be required to undergo such training and to pass such tests as the Government may from time to time, prescribe.

3. Stenographers Grade II recruited to AFHQ Stenographers' Service will be generally posted to any office of the AFHQ and Inter Service Organisations located in Delhi/New Delhi. They will also be liable to be posted to such other stations outside Delhi/New Delhi, where offices of the AFHQ/IS Organisations may be located.

4. Stenographers Grade II will be eligible for promotion to the post of Stenographer Grade I (Senior Personal Assistants) and Stenographers Grade I (Private Secretary) in accordance with the rules in force from time to time.

5. Leave, Medical aid and other conditions of service are the same as applicable to other ministerial staff employed in Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations.

E. *Central Vigilance Commission, India.*

The posts of Stenographer in the Central Vigilance Commission carry a scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 like the posts of Stenographer in the Central Secretariat Stenographers' Service but these posts are not included in that Service.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

RESOLUTION

New Delhi, the 1st September 1972

No. M-118-1/1/72.—The Government of India have reconstituted the Central Haj Advisory Board for the year 1972-73 to advise the Government of India on matters relating to the Haj pilgrimage. The following shall be its members :—

Chairman

1. Shri S. A. Mehdi.

Members

2. Shri Akbar Ali Khan.
3. Maulana Mohd. Mian Faruqi.
4. Shri Asad Madani, M.P.
5. Shri Ahmed Baksh Sindhi.
6. Shri Syed Ahmed Aga, M.P.
7. Shri Syed Ahmed, M.P.
8. Shri Lutfal Haque, M.P.
9. Shri Mohd. Ismail.
10. Shri Daud Ali Mirza.
11. Maulana Noorullah.
12. Shri P. M. Sayeed, M.P.
13. Smt. Najma Heptoola.
14. Shri Zain A. Rangoonwala.
15. Shri Abdul Jaleel Chowdhary.
16. Shri Azim Tayyab Ji.
17. Shri Khurshid Ahmed.
18. Shri Mohiddin Kutty.
19. Shri Saeed-Ul Hassan.
20. Shri Mohammed Ali.

3. Shri S. A. Mehdi, shall be the Chairman of the Board.

4. The Director, In-charge of Haj Affairs in the Ministry of External Affairs, shall be the *Ex-officio* Secretary and Convener of the Board.

5. The functions of the Board will be purely advisory. Meetings of the Board will be summoned by the Secretary at such times as may be decided by the Government at the request of the Members. Ordinarily at least ten days' notice of a meeting will be given to the Members. The proceedings of the meeting will be confidential and will be submitted to the Government for such action as the Government may consider necessary. No press representatives will be allowed to attend the meetings of the Board.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, all State Governments and Centrally Administered Areas, all State Haj Committees and the Shipping Company concerned for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

R. C. ARORA, Director (Coordin. & Haj Affairs)

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

New Delhi, the 24th August 1972

No. 1/8/70-*HC*.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 1/8/70-HC, dated the 7th January, 1971, the Government of India have decided to nominate Smt. Sarala Goplan, Joint Secretary to the Government of Kerala, Industries (C) Department, Trivandrum as a member of the All India Handicrafts Board, New Delhi with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

T. C. A. SRINIVASAN Dy. Director

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd August 1972

No. O-11017/34/71-*PHE*(*LSG*).—It has been decided that the high power Board, *viz.* "The Executive Board for Water Supply, Sanitation and Environment" constituted in the Ministry of Health & Family Planning (Department of Health) Resolution No. O-11017/34/71-PHE, dated the 19th July, 1971, will in addition to the functions entrusted to it, also look after the implementation of the Central Plan Scheme of Research and Training in Municipal Administration and the Urban Community Development Scheme in the State Sector.

Sub-para (i) of para 3 of Resolution No. O-11017/34/71-PHE, dated the 19th July, 1971, is accordingly replaced by the following para :—

(1) "To take decisions on all matters relating to the various Central, Centrally sponsored and State Schemes relating to Water Supply and Sanitation Training & Research in the field of municipal administration and Urban Community Development Programmes including authorisation of financial sanction within the budget provision voted by Parliament.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that a copy of the Resolution may be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India/Dte. Genl. of Health/Services/Members of the Executive Board for water supply, sanitation and environment.

Copy to all officers and sections in the Department of Health & Family Planning and Dte. Genl. of Health Services.

SATISH KUMAR, Dy. Secy.

(Department of Family Planning)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th August 1972

No. 2-58/72-PLY.—In pursuance of the recommendation of the Conference of Health Ministers held on 25th & 26th July, 1972, the Government of India are pleased to constitute a Committee of the Ministers of Health to study the factors responsible for the slow progress of the Family Planning Programme in certain areas and to suggest ways and means to give it necessary impetus. The composition of the Committee shall be as follows :

Chairman

(1) Union Minister of State for Health and Family Planning.

Members

(2) Minister of Health, Assam.
(3) Minister of Health, Bihar.
(4) Minister of Health, Haryana.
(5) Minister of Health, Jammu & Kashmir.
(6) Minister of Health, Madhya Pradesh.
(7) Minister of Health, Manipur.
(8) Minister of Health, Mysore.
(9) Minister of Health, Rajasthan.
(10) Minister of Health, Uttar Pradesh.
(11) Minister of Health, West Bengal.

Convenor

(12) Commissioner (Family Planning), Ministry of Health and Family Planning.

2. The Committee shall have power to co-opt other specialists and members.

3. The terms of reference of the Committee shall be (a) to identify and study the factors responsible for the slow progress of the Family Planning Programme in States of Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Manipur, Mysore, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal and certain areas in other States; and (b) to suggest ways and means to give the programme necessary impetus.

4. The Committee should furnish its report to the Government of India latest by the 30th September 1972.

5. The expenditure involved may be met from within the sanctioned budget grant under Major Head "30-A. FP C. Family Planning C.1. Technical Advice and Supervision C.1(1)(4) Other Charges."

ORDER

(1) ORDERED that Resolution be published in the Gazette of India for general information.

(2) ALSO ORDERED that a copy of the Resolution be circulated to all State Governments and all Ministries/Departments of the Government of India.

K. K. DASS, Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 26th August 1972

RESOLUTION

No 20-PG(13)/71.—In partial modification of the Ministry of Shipping and Transport Resolution No. 20-PG(9)/70, dated the 15th December, 1970, as modified from time to time, the Government of India have decided that Minister-in-charge, Irrigation & Power Department, Government of West Bengal, shall be a member of the National Harbour Board in place of the Chief Secretary to the Government of West Bengal.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the members of the Board, Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Ministries/Departments of the Government of India and the State Governments concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. SIVARAJ, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 30th August 1972

No. 72/RE/161/23.—It is hereby notified for the general information of all concerned that the 132 KV double circuit transmission line constructed by Northern Railway starting from Etawah Railway sub-station (Km. 1157.50) to Railway sub-station Shikohabad (Km. 1211.15) running parallel to the Railway track and in the vicinity of the nearby villages will be energised on 132 KV AC 50 cycle per second on and after 30-8-1972. On and from the same date the overhead transmisison line shall be treated as live at all times and no unauthorised person shall approach or work in the proximity of the said overhead line.

H. F. PINTO, Secy., Rly. Board

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

(Directorate General of Employment & Training)

New Delhi, the 29th August 1972

No. EEI/3/3/72.—To the list of members of the Central Committee on Employment, as reconstituted by the notification of the Government of India in the Department of Labour and Employment (D.G.E.T.), No. EEI. 3/8/69, dated the 7th July, 1970, the following amendments may be made, *viz.*

After entries 20 and 27 in the said list, the following additional entries shall be made, namely—

"20A. A representative of the Arunachal Pradesh Administration.

27A. A representative of the Mizoram Administration."

G. JAGANNATHAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972